Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

L.D. Case No.- 19/2024

Hari Krishna Singh @ Hare Krishna Singh.. Appellant.

Versus

Kumari Nilima Singh……………………...................... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

04.9.2025

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा B.L.D.R. Case No.–02/2023-24 में दिनांक-07.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
पूर्णिया पूर्व	माधोपाड़ा/108	28	440	6 डी.

दिनांक-20.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का यह दावा है कि प्रश्नगत जमीन उनकी माता को भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त पर्चाधारी सुकरा उरांव के पुत्र राम प्रसाद उरांव एवं पुत्रवधु परबतिया देवी से पट्टानामा दिनांक 16.3.1992 से प्राप्त है। जबकि विपक्षी की ओर से निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय करने के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय वर्ष-2008 में किया गया तथा जमाबंदी कायम हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त तथाकथित पर्चाधारी से प्राप्त पट्टानामा के आधार पर दावा किया जा रहा है। जो कानूनन सही नहीं है। चुकि संगत प्रावधानों के अनुसार भूदान से प्राप्त जमीन का Usage Transfer विधिमान्य नहीं होता है। सुनवाई में विपक्षी की ओर से प्रश्नगत जमीन पर Legal Right रहने संबंधी दाखिल अभिकथन एवं साक्ष्यों को Negate करने हेतु अपीलार्थी की ओर से कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Prye k.
04/9/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Prye k.
04/9/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया